

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना संक्षिप्त नोट

1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSY) में नवीन पंचायत भवनों एवं पंचायत भवनों के मरम्मत/विस्तार के कार्य. राज्य के नोन बीआरजीएफ जिले में कराये जाते हैं। राज्य के 20 जिले इस योजना हेतु हैं। योजना में भारत सरकार से 75 प्रतिशत राशि एवं 25 प्रतिशत राशि राज्यांश से उपलब्ध होती है।
2. वर्ष 2009-10 में भारत सरकार से 3 करोड़ रुपये तथा 1 करोड़ रुपये राज्य सरकार (State Share) से कुल 4.00 करोड़ रुपये आवंटित हुए। वर्ष 2009-10 में 16 जिलों हेतु 77 नवीन पंचायत भवनों एवं 176 पंचायत भवनों के मरम्मत एवं विस्तार के कार्य स्वीकृत किये गये। माह जुलाई, 2011 तक 155 कार्य पूर्ण हुए हैं तथा शेष 98 कार्य प्रगति पर हैं। योजनान्तर्गत 309.69 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। योजनान्तर्गत जुलाई, 2011 तक हुये व्यय एवं कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भारत सरकार को ई-मेल व फ़ैक्स कर दी गई है। योजनान्तर्गत कुल राशि के विरुद्ध 77.42 प्रतिशत व्यय हुआ है।
3. राज्य में RGSY के 20 जिलों से भवन रहित पंचायत भवनो की सूचना एकत्र की गई है। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार 73 ग्राम पंचायतें, पंचायत भवन रहित हैं, जिनके प्रस्ताव स्वीकृती हेतु भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। योजनान्तर्गत राशि का आवंटन भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
4. राज्य में नोन बीआरजीएफ जिलों से जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों की सूचना एकत्र की गई सूचना के अनुसार कुल 332 ग्राम पंचायतों के भवन जीर्ण-शीर्ण, अनुपयोगी, असुरक्षित हैं, जो कार्यालय उपयोग के लिए उचित नहीं हैं। इनके प्रस्ताव भी आरजीएसवाई योजना में नवीन पंचायत भवन बनाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। इस प्रकार योजनान्तर्गत 405 नवीन पंचायत भवन हेतु राशि आवंटन के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।